झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद/ अपीलवाद संख्या 09 वर्ष 2024

विविधवाद/ प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्री तपेश्वर सिंह एवं अन्य, ग्रा० पो०- नावाटोली, प्र०-कोलेबीरा, जिला- सिमडेगा ।

बनाम

वाद प्रारंभ की तिथि दि०.28.02.2024.

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदा०, सिमडेगा ।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद सं0–09/2024

परिवादी श्री तपेश्वर सिंह एवं अन्य, ग्राम पंचायत–नावाटोली, प्रखण्ड–कोलेबिरा, जिला–सिमडेगा का परिवाद पत्र व्हाटसएप्प के माध्यम से आयोग को प्राप्त हुआ है।

परिवादीगण द्वारा सूचित किया गया है कि उनके द्वारा दिनांक–19.12.2023 को आयोग के व्हाटसएप्प पर शिकायत की गई थी जिसे आयोग द्वारा पत्रांक–WA/1063/2023 द्वारा कार्रवाई हेतु जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सिमडेगा को प्रेषित किया गया था। परिवादी का आरोप है कि उनके द्वारा समर्पित शिकायत पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

उल्लेखनीय है कि परिवादीगण द्वारा नावाटोली पंचायत के PDS डीलर अमरेन समद के विरूद्ध राशन वितरण में अनियमितता का आरोप से संबंधित परिवाद पत्र दिनांक–16.12.2023 को व्हाटसएप्प के माध्यम से आयोग को समर्पित किया गया था जिसमें डीलर के विरूद्ध 03–06 महीने तक का राशन बाकी रखे जाने एवं हर माह कार्डधारियों से अंगूठा लगवा लिये जाने का आरोप लगाया गया था। उक्त मामले में कार्रवाई हेतु DGRO, सिमडेगा को आयोग के पत्रांक–WA/1063/2023 दिनांक–19.12.2023 द्वारा निदेशित किया गया था एवं पत्र की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु DSO, सिमडेगा को भी प्रेषित किया गया था। कृत कार्रवाई की सूचना आयोग को अप्राप्त है।

अतः प्राप्त परिवाद पत्र पर आयोग स्तर से सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–11.03.2024 को निर्धारित की जाती है।

प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सिमडेगा को प्रतिवादी बनाया जाय। प्राप्त परिवाद–पत्र की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सिमडेगा को सशरीर आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें।

दिनांक–11.03.2024 को अपराह्न 12:00 बजे रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।